न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 03/18 दायरा दिनांक 01/08/2018

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

माफी मन्दिर श्री लछमन जी महाराज बिराजमान देह सीतावाडी (केलवाडा) तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 जर्ये वाद मित्र जसविन्दरसिंह साबी पुत्र जसवंतसिंह उम्र 36 वर्ष जाति जट सिक्ख निवासी गणेशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां राज. हाल सदस्य सीतावाडी विकास समिति केलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद थाना केलवाडा जिला बारां (राज.)
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद थाना केलवाडा जिला बारां (राज.)
3. सुमनदेवी पत्नि स्व.रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी केलवाडा तहसील शाहाबाद थाना केलवाडा जिला बारां (राज.)
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 12.06.2024

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थी 1 लगायत 3 की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
अप्रार्थी कम 4 की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम केलवाडा पटवार हल्का केलवाडा तहसील शाहाबाद में आराजी ख. नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा 2 तथा आराजी ख. नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थीकम 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है, जिसे प्रार्थनापत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। ग्राम केलवाडा से लगा हुआ पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल सीतावाडी स्थित है, इसी पवित्र तीर्थस्थल सीताबाडी में प्राचीन श्री लछमन जी महाराज का मन्दिर स्थित है, जो सनातन आम हिन्दू जन की आस्था, श्रद्वा का केन्द्र एवं पूजन स्थल है, इन्ही श्री लछमन जी महाराज बिराजमान देह सीतावाडी के खाते की आराजी ख. नं. 55 रकवा 3.07 वीघा काजू व आराजी ख. नं. 505 रकवा 12.15 वीघा कुवावाली किता 2 कुल रकवा 16.02 वीघा भूमि स्थित रही है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम केलवाडा तहसील शाहाबाद में संवत 2000 से लेकर 2015 तक वदस्तूर दर्ज रही है। उक्त आराजी ख. नं. 55 रकवा 3.07 वीघा काजू व आराजी ख. नं. 505 रकवा 12.15 वीघा कुवावाली किता 2 कुल रकवा 16.02 वीघा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2000–03 में श्री लछमन जी बिराजमान सीतावाडी के खाते दर्ज होकर वकब्जा घासीलाल बेटा आनन्दीलाल ववलायत मु. रामचन्द्री तथा मदनगोपाल बेटा कन्हैयालाल जात ब्राह्मण वास गांव बांट बराबर का नाम दर्ज रहा है। तदुपरान्त दोनो कब्जाधारी घासीलाल व मदनगोपाल में से सर्वप्रथम मदनगोपाल लाऔलाद फौत हो गये,

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

जिनके स्थान पर फौती नामान्तरण नम्बर 410 से बतौर कब्जाधारी वेवा मु. सुरजा का नाम दर्ज हुआ, इसके बाद घासीलाल तथा घासीलाल की संरक्षिका अर्थात वली मु. रामचन्दी की भी मृत्यु हो गई, जिनके स्थान पर नामान्तरण नम्बर 466 से रिश्ते में भौजाई अर्थात बडे भाई की पत्नि होने से मु. सुरजा का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार मन्दिर माफी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान सीतावाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजी पर वकब्जा अकेली मु. सुरजा वेवा मदनगोपाल का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2004–07 में दर्ज हो गया, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2008–11 व 2012–15 में वदस्तूर दर्ज रहा। चूंकि हिन्दू धर्म की परम्परा मुताविक मन्दिर की सेवा पूजा औरत नहीं करती, इस कारण घासीलाल व मदनगोपाल की मृत्यु उपरान्त उक्त मन्दिर की पूजा कब्जाधारी सुरजा की तरफ से अप्रार्थीकम 1 व 2 के दादाजी तथा अप्रार्थीकम 3 के ससुर सुखदेव करने लगे, जिसका उल्लेख संलग्न जमाबन्दी 2004–07 में दर्ज है। ततपश्चात तहसील शाहावाद में सैटलमेन्ट हुआ और सैटलमेन्ट एजेन्सी ने मन्दिर माफी लछमन जी महाराज विराजमान सीतावाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजी ख. नं. 55 रकवा 3.07 वीघा काजू व आराजी ख. नं. 505 रकवा 12.15 वीघा कुवावाली किता 2 कुल रकवा 16.02 वीघा को संधारित सैटलमेन्ट जमाबन्दी 2020–39 में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के सैटलमेन्ट पूर्व से दर्ज खातेदार मन्दिर माफी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान सीतावाडी के नाम मात्र खसरा नम्बर 230 से 11 विस्वा भूमि रखते हुये, शेष भूमि कब्जाधारी मु. सुरजा के नाम खाते दर्ज कर दी, जिसका परिवर्तित ख. नं. 460 रकवा 12.11 वीघा डौली व ख. नं. 420/635 रकवा 0.03 वीघा दर्ज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दौराने सैटलमेन्ट तहसील शाहावाद का खसरा मीलान तैयार नहीं किया गया, परन्तु सैटलमेन्ट पूर्व मु. सुरजा के नाम से पृथक कोई खाता दर्ज नहीं रहा है और मन्दिर माफी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान सीतावाडी के खाते की उक्त आराजी पर मु. सुरजा वहैसियत कब्जाधारी दर्ज रही है, साथ ही सैटलमेन्ट पश्चात परिवर्तित ख. नं. 460 डौली दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सैटलमेन्ट पश्चात खसरा नम्बर 460 व 420/635 बने हैं। मन्दिर माफी लक्ष्मण जी महाराज विराजमान सीतावाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजीयात की एक रजिस्टर्ड वसीयत सेटलमेन्ट पूर्व दर्ज कब्जाधारी एवं सेटलमेन्ट पश्चात विधि विरूद्व दर्ज खातेदारा मु. सुरजा वेवा मदनगोपाल ने दिनांक 04.01.1984 को अप्रार्थीकम 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थीकम 3 के पति रमेशचन्द वल्द सुखदेव जाति ब्राह्मण के हक में पंजीयन करा दी, परन्तु मु. सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहीता रमेशचन्द वल्द सुखदेव की सडक दुर्घटना में दिनांक 15.07.1995 को मृत्यु हो गई, इस दुर्घटना बावत अन्ता थाने में प्रकरण संख्या 216/95 दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपपत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है और वसीयतगृहीता रमेशचन्द की मृत्यु होने के 6 वर्ष बाद दिनांक 14.01.2001 को वसीयतकर्ता मु. सुरजा की मृत्यु हुई है, चूंकि वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुये वसीयतगृहीता की मृत्यु हो जाने से उपरोक्त वसीयत दिनांक 04.01.1984 स्वतः ही एक प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज हो गया, इसके बावजूद भी वसीयतकर्ता मु. सुरजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण ने मिलकर ततकालीन राजस्वकर्मियों व नामान्तरण ऐजेन्सी से सांठ–गांठ कर उक्त प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज वसीयत दिनांक 04.01.1984 के आधार पर मन्दिर माफी की उक्त विवादित भूमि फर्जी एवं अवैधानिक तरीके से षड्यन्त्रपूर्वक नामान्तरण नम्बर 738 दिनांक 09.07.2001 के

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

जरिये अपने नाम दर्ज करा हडप कर ली है। इस प्रकार ग्राम केलवाडा तहसील शाहाबाद स्थित मन्दिर माफी लछमन जी महाराज विराजमान सीतावाडी के खाते की उक्त वर्णित आराजी ख. नं. 55 रकवा 3.07 वीघा काजू व आराजी ख. नं. 505 रकवा 12.15 वीघा कुवावाली किता 2 कुल रकवा 16.02 वीघा को दर्ज कब्जाधारी मु. सुरजा वेवा मदनगोपाल ने सेटलमेंन्ट ऐजेन्सी से मिलकर संधारित सैटलमेन्ट जमाबन्दी 2020–39 में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के अपने नाम खाते दर्ज करा ली, इतना ही नहीं मु. सुरजा ने उक्त भूमि षड्यन्त्रपूर्वक अप्रार्थी 1 व 2 के पिता तथा 3 के पति रमेशचन्द के हक में दिनांक 04.01.1984 को वसीयत कर दी। चूंकि वसीयतकर्ता मु. सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहीता रमेशचन्द की मृत्यु हो जाने से उक्त वसीयत एक प्रभावशून्य एवं अमान्य दस्तावेज हो गया था, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने उक्त वसीयत के आधार पर मन्दिर माफी लक्ष्मण जी महाराज के खाते की उक्त वर्णित भूमि षड्यन्त्रपूर्वक अपने नाम दर्ज कराकर बैंक को रहन रख दी। विवादित आराजी ख. नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा 2 तथा आराजी ख. नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा जो अप्रार्थीगण ने अपने नाम खाता दर्ज करा रखी है, मूलरूप से माफी मन्दिर श्री लछमन जी बिराजमान सीताबाडी शाश्वत नाबालिग अर्थात प्रार्थी के खाते की है, जिस पर प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा कर विवादित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में पुनः अपने नाम खाता दर्ज कराने का हकदार है, इस हेतु पृथक से वाद पेश है। प्रार्थी ग्राम गणेशपुरा तहसील किशनगंज का निवासी होकर सीताबाडी विकास समिति केलवाडा का सदस्य भी है, जो अपने पूर्वजों के समय से उक्त मन्दिर श्री लछमन जी महाराज के प्रति अटूट आस्था एवं श्रद्वा का भाव रखता है तथा मूर्ति मन्दिर के कब्जाधारीयों द्वारा मूर्ति मन्दिर की उक्त वर्णित आराजीयात को पूर्णतया विधि विरूद्व तरीके से सेटलमेन्ट ऐजेन्सी से सांठ गांठ कर अपने नाम दर्ज करा ली है, जो अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि विरूद्व एवं निन्दनीय है। इस कारण जसविन्दरसिंह साबी सिर्फ और सिर्फ मूर्ति मन्दिर के हितों की रक्षार्थ मन्दिर मूर्ति हित में माननीय न्यायालय की इजाजत से मन्दिर माफी लछमन जी महाराज बिराजमान देह सीतावाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान का वाद मित्र होकर सम्माननीय न्यायालय की अनुमति से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थीगण का कृत्य विधि विरूद्व एवं मनमाना है तथा अप्रार्थीगण विवादित आराजी को प्लाट बनाकर विक्रय करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं, वादमित्र ने इसकी शिकायत अप्रार्थी क्रम 4 से भी की है, परन्तु उन्होने आजतक उक्त विवादित आराजीयात को मन्दिर माफी श्री लछमन जी बिराजमान सीतावाडी के नाम दर्ज करने का कोई प्रयास नहीं किया है, यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त मंसूबे में कामयाव हो गये तो शाश्वत नाबालिग माफी मन्दिर श्री लछमन जी महाराज के खाते की उक्त आराजी खुर्द–बुर्द हो जायेगी, जिससे मन्दिर मूर्ति के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा और अनावश्यक लिटीगेशन पैदा होगा, इस कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता निर्णय वाद पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजीयात ख. नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा 2 तथा ख. नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा ग्राम केलवाडा तहसील शाहाबाद के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से अंतरित अथवा अन्यथा

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

खुर्द–बुर्द नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो मुनासिब हो मन्दिर मूर्ति के हित में प्रदान की जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र की सभी मदों को गलत होना बतलाते हुये अस्वीकार किया जाकर कथन किया गया कि जिस व्यक्ति ने वाद प्रस्तुत किया है, जो वाद प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है और वाद सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी न तो कभी प्रार्थी के खाते दर्ज रही है, न ही प्रार्थी का कोई संबंध रहा है। विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की दिनांक को सुरजा के कब्जे में होने से सुरजा के खाते दर्ज हुई है और सुरजा की मृत्यु उपरांत अप्रार्थी कम 1 ता 3 व योगेश के खाते दर्ज की गई है इस बावत प्रार्थी को आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी जो वादमित्र बना है वह अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है वादी के कथित वादमित्र जसविन्दरसिंह सावी ने अप्रार्थी कम 1 की पत्नि के खाते की करीब 24 बीघा भूमि को आज से 5 साल पूर्व एक करोड रूपये में कय करने का सौदा किया था, कुछ रकम साई पेटे भी दी थी, बाद में कय करने से पलट गया और साई पेटे दी गई राशि को वापिस करने का दबाव बनाने लगा जबकि हम इकरार की पालना के लिये हमेशा तैयार रहे हैं, इसी रंजिश के आधार पर अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिये यह वाद पेश किया है। विवादित भूमि का ख. नं. 55 व 505 कभी भी नहीं रहा है इन खसरा नम्बरान की कुल भूमि 16.02 बीघा होती है विवादित भूमि का कुल रकबा 12.14 बीघा है, इस तरह वादी ने बिना किसी आधार के विवादित आराजीयात को ख. नं. 55 एवं 505 की आराजी मानकर यह गलत दावा पेश किया है वैसे भी काश्तकारी अधि. के प्रभाव में आने से पूर्व ही माफी रिज्युम हो चुकी थी। विवादित भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है विवादित भूमि तन्हा अप्रार्थीगण के खाते एवं स्वामित्व की है जिस पर किसी को भी किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का हक अधिकार नहीं है। विवादित भूमि पिछले 45 सालो से सूरजा एवं उनकी मृत्यु उपरांत अप्रार्थीगण के खाते कब्जे में चली आ रही है, इस कारण वादी का वाद अवधि मध्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान वकीलों की वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम केलवाडा तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख. नं. 420/635 तथा आराजी ख. नं. 460 सेटलमेंट के पूर्व ख.नं. 55 व 505 होकर माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के खाते दर्ज रहे है, जिस पर बतौर कब्जाधारी घासीलाल व मदनगोपाल का नाम दर्ज था, कब्जाधारी घासीलाल व मदनगोपाल की मृत्यु के बाद बतौर कब्जाधारी सुरजा का नाम दर्ज हुआ, वक्त सेटलमेंट उक्त आराजी खाते से माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी बिराजमान सीताबाडी का नाम हटाकर कब्जाधारी सुरजा को खातेदार दर्ज कर दिया। बाद में सुरजा ने उक्त भूमि की एक वसीयत दिनांक 04.01.1984 को अप्रार्थीगण के पिता/पति रमेशचन्द वल्द सुखदेव के हक में कर दी, परन्तु वसीयतकर्ता सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहीता रमेशचन्द की सडक दुर्घटना में दिनांक 15.07.1995 को मृत्यु हो गई और इस कारण कानूनन उक्त वसीयत एक प्रभावशून्य दस्तावेज हो गया, इस प्रभावशून्य दस्तावेज वसीयत के आधार पर सुरजा के मरने के बाद

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी को नामान्तरण नंबर 738 के जरिये अपने नाम दर्ज करा लिया और बैंक को रहन रख दी, जिसे अब अप्रार्थीगण विक्रय एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। दौराने सेटलमेंट खसरा मीलान नहीं बनाया गया है, परन्तु विवादित आराजी खाते के अलावा सेटलमेंट के पूर्व सुरजा के नाम से कोई खाता दर्ज नहीं रहा है, ख.नं. 460 डोली के रूप में दर्ज रहा है, जो इस बात का निश्चायक है कि सेटलमेंट पूर्व के ख.नं. 55 व 505 ही सेटलमेंट बाद के ख.नं. 460 व 420/635 हैं। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन रहा है कि विवादित भूमि का ख. नं. 55 व 505 कभी नहीं रहा है, प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र आधारहीन तथा रंजिशन पेश किया है, अप्रार्थीगण 45 वर्ष से खातेदार होकर काबिज चले आ रहे हैं, जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रार्थी को कोई विधिक हक नहीं है।

पत्रावली में संलग्न वर्तमान जमाबंदी 2071–74 में विवादित आराजी ख.नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा तथा आराजी ख. नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किता 2 कुल रकबा 12.14 बीघा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है, जो नामान्तरण नंबर 738 दिनांक 09.07.01 से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है। नकल नामान्तरण नंबर 738 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस नामान्तरण के जरिये सुरजा बेवा मदनगोपाल की विरासत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 04.01.84 के आधार पर अप्रार्थीगण के हक में दर्ज की गई है। उक्त वसीयत सुरजा वेवा मदनगोपाल के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता/पति रमेशचन्द पुत्र सुखदेव के हक में तहरीर कराई गई थी परन्तु वसीयतगृहीता रमेशचन्द की मृत्यु दिनांक 15.07.1995 को ही हो चुकी थी और नामान्तरण नंबर 738 दिनांक 09.07.01 को अप्रार्थीगण के हक में वसीयतगृहीता रमेश की मृत्यु के बाद दर्ज किया गया है वसीयतगृहीता रमेशचन्द का फोत होना नामान्तरण नंबर 738 में भी अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि वसीयतकर्ता सुरजा के जीवनकाल में ही वसीयतगृहीता रमेश की मृत्यु हो चुकी थी और इस आधार पर सुरजा द्वारा रमेश के हक में की गई वसीयत शून्य हो चुकी थी, इस शून्य दस्तावेत के आधार पर अप्रार्थीगण के हक में दर्ज किया गया नामान्तरण उचित नहीं था। प्रार्थी का कथन है कि सेटलमेंट पूर्व के ख.नं. 55 व 505 ही सेटलमेंट बाद के ख.नं. 460 व 420/635 हैं, वास्तव में खसरा मीलान से ही इसका निश्चय किया जा सकता है, परन्तु सेटलमेंट द्वारा खसरा मीलान तैयार ही नहीं किया गया है, हम वकील प्रार्थी के कथन से सहमत है कि सेटलमेंट के पूर्व माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के नाम से खाता दर्ज रहा है, जिस पर बतौर कब्जाधारी सुरजा वेवा मदनगोपाल का नाम दर्ज रहा है और इस खाते के अलावा अन्य कोई खाता सुरजा के नाम ग्राम केलवाडा में दर्ज नहीं रहा है, अप्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि सेटलमेंट के पूर्व सुरजा के नाम से अन्य कोई खाता दर्ज रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के खसरा नंबर 55 व 505 की आराजी ही बाद सेटलमेंट विवादित ख.नं. 420/635 तथा ख. नं. 460 डोली के रूप में दर्ज की गई है, जो बाद में नामान्तरण नंबर 738 से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई है। अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी गत 45 वर्ष से अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे में रही है, जिस पर आपत्ति करने का प्रार्थी को कोई हकाधिकार नहीं है, परन्तु उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि विवादित भूमि माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के खाते

12/06/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

की रही है, मूर्ति मन्दिर लक्षमण जी सीताबाडी में विराजमान है, जिनके सानिध्य में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में सहरिया लघु कुम्भ के नाम से विशाल मेले का आयोजन आज भी निरंतर हो रहा है, जो जन जन की आस्था का केन्द्र है, मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होती है, जिसके हितों की रक्षा के लिये न्यायालय की अनुमति से वादमित्र बनकर यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जिसमें कोई विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के खाते की भूमि को उसके कब्जाधारियों ने ही अपने नाम दर्ज करा कर रक्षकों ने ही भक्षक का काम किया है और अब माफी मन्दिर श्रीलक्ष्मण जी महाराज बिराजमान सीतावाडी के खाते की आराजी को विक्रय कर, निर्माण कर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जिन्हे न्यायाहित में रोका जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 3 को मूल वाद के निर्णय होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख. नं. 420/635 रकबा 0.03 बीघा किस्म खेडा 2 तथा आराजी ख. नं. 460 रकबा 12.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय स्थित ग्राम केलवाडा तहसील शाहावाद के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं करेंगे ना ही खुर्द बुर्द करेंगे और ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण आदि करेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

12/6/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद